डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय/उप खण्ड अधिकारी/[illegible] मजिस्ट्रेट
[illegible] 18/14
फोटो प्रति मुकदमा [illegible]
मुस्सामी/गहनी/कामलाल वगैरा

[अ]ज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

[इज]लास श्री के० आर० [illegible], IAS ....

मु० गहनी बेवा मोहन बलाई
निवासी मेवास रोड शाहपुरा
लक्ष्मण S/o मोहन ———
-वादीगण

बनाम (श्री रामलाल S/o पन्ना बलाई
निवासी मेवास [illegible] शाहपुरा
2. तहसीलदार शाहपुरा
-प्रतिवादीगण

प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

[वा]द पत्र अन्तर्गत धारा .... 88 RTA ....

[मु]कदमा नम्बर .... 18 .... सन् .... 14 .... राजस्व वाद

[य]ह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई

.... है .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री

[दी] जाती हैं कि :–

के [illegible] शाहपुरा की [illegible] नं. 313 रकबा 0.13 है, 312 रकबा 0.04 है, 311 रकबा 0.03 है, 320 रकबा 0.29 है कुल किता 4 रकबा 0.49 है [illegible] मोहन, लक्ष्मण पिता मोहन [illegible] गहनी बेवा मोहन बलाई [illegible] [illegible] [illegible] तहसीलदार शाहपुरा को [illegible] [illegible] 318 रकबा 0.04 है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[मि]नज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द

[वसू]याबी तक अदा करें ।

[हमा]रे दस्तखत व मोहर से आज तारीख .... 25 .... माह .... 4 .... सन् .... 17 ....

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

[उपखण्]ड अधिकारी
[शाह]पुरा (भीलवाड़ा)

[दस्त]खत व ओहदा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2/5/18	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018" पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 शिविर [illegible] में पेश हुई। [illegible] दिनांक 2/5/18 [illegible] नामान्तरकरण संख्या 227 / 2/5/18 [illegible] नामान्तरण संख्या 136 / 2/5/18 [illegible] 2/5/18 को [illegible] कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। [illegible] [illegible] अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर [illegible] (भीलवाड़ा)